(ख) यदि हां, तो क्या इस बारे में सम्पूर्ण सर्वेक्षण हो चुका है और लाइनों को बदलने के इस कार्य के कब तक पूरे हो जाने की सम्भावना है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) :(क) फिलहाल, इन लाइनों के आमान परिवर्तन के काम को शुरू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

Repairs of Mahanadi Bridge

2599. SHRI SHYAM SUNDER MOHAPATRA: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) how long will the repair work at Mahanadi bridge in South Eastern Railway take; and

(b) what is the total expenditure involved in the work?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI BUTA SINGH): (a) The regirdering work at Mahanadi bridge is in progress and is expected to be completed by March, 1977.

(b) Rupees three crores and thirty three lakhs approximately.

Working rules in goods yard in Northeast Frontier Railway

2600. SHRI NOORUL HUDA: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether the working rules and norms in the goods yard of a number of Northeast Frontier Railway junctions are different from those of regular stations; and

(b) if so, the reasons thereof?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI BUTA SINGH): (a) and (b). The Station Working Rules and norms differ from station to station and yard to yard so as to accord with the layout and facilities provided in the yards vis-a-vis the pattern and volume of traffic dealt with and to suit any special features which may be peculiar to that station or yard.

मनासा और सीतामऊ आउट एजेंसियों द्वारा घोटाला

2601. डा० लक्ष्मी नारायण पांडेय : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मनासा रेलवे आउट एजेंसी (नीमच स्टेशन से मनासा) और सीतामऊ आउट एजेंसी (मंदसौर से सीतामऊ) द्वारा किए गए घोटालों के मामलों की रिपोर्ट की गई थी तथा इस संबन्ध में जांच की गई थी ; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह): (क) जी हां।

(ख) मनासा और सीतामऊ आउट एजेंसियों के ठेके समाप्त कर दिए गए हैं। मनासा आउट एजेंसी के मामले में केवल तकनीकी प्रकार की अनियमिततायें पायी गयी थी। उनकी प्रतिभूति जमा तथा भुगतान के लिए पड़े बिलों के समायोजन द्वारा रेलवे की बकाया राशि की वसूली करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। सीतामऊ आउट एजेंसी के विरुद्ध छल-पूर्ण सुपुर्दगी लेने के सम्बन्ध में सरकारी रेलवे पुलिस ने न्यायिक मजिस्ट्रेट मंदसौर की अदालत में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409/420 के अन्तर्गत चालान पेश कर दिया है और यह मामला न्यायालय के विचाराधीन है।